कजोड़ बनाम फूलचन्द वगैरह

मु० नं० 49/14 T.I

26/6/19 प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/7/19 को पेश हो।

25/7/19 वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 26/8/19 को पेश हो।

26/8/19 वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 30/9/19 को पेश हो।

30/9/19 वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 04/11/19 को पेश हो।

04/11/19 वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 17/12/19 को पेश हो।

17/12/19 वकील प्रार्थी उप० / वादी T.I. सुनीपर्द पत्रावली का अवलोकन / डाईरी देखी दिनांक 19/12/19 को पेश हो।

19/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अप० / पत्रावली का अवलोकन किया व वाद पत्र का मनन किया। मूल वाद घोषणा विवाद डिक्री व स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26/9/14 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद ता० फैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता न बढ़े। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26/9/14 को ता० फैसला मूल वाद कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से रखने तथा मूल वाद के साथ रहे।

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.26 13:51:02 IST
Reason: SelfAttested